अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/कार्मिक/2024/484

रीवा, दिनांक 3.7.2024

विज्ञापन

विशेष भर्ती अभियान अन्तर्गत दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वाक–इन–इन्टरव्यू

दिव्यांगजनों के विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत अशैक्षणिक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 13 जुलाई–2024 तक आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है–

वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी–	01 पद
सहायक ग्रेड–3	05 पद
चौकीदार	02 पद
भृत्य	03 पद
स्वीपर	01 पद

विज्ञापन के संबंध में विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर www.apsurewa.ac.in पर देखा जा सकता है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ–

1. डॉ0 पी0के0 राय, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड कराये जाने हेतु।
2. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग। अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा म0प्र0।
3. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
4. संपादक महोदय...की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में 2 कालम 5 सेन्टीमीटर साइज में विज्ञापन प्रकाशित कर देयक की दो प्रतियां भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
5. कुलगुरु जी के /कुलसचिव के निज सहायक
6. सूचना पटल/संबंधित नस्ती।

सहायक कुलसचिव (कार्मिक)

word....

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / कार्मिक / 2024 / 483

रीवा, दिनांक 03/07/24

विज्ञापन

विशेष भर्ती अभियान अंतर्गत् दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति

म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन के परिपत्र दिनांक 03.05.2024 एवं म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 07.06.2024 के परिपालन में विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए अधोलिखित तालिका में वर्णित रिक्त पदों की पूर्ति वॉक–इन– इन्टरव्यू के माध्यम से किया जाना है। निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन विहित प्रारूप में दिनांक 13 जुलाई 2024 तक कार्यालयीन समय सायंकाल 5:00 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी निम्नलिखित है–

क्र0	पदनाम / वेतन मान	पद की संख्या	दिव्यांगजनों के विकलांगता के श्रेणी				निर्धारित योग्यता
			दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी (सेरेब्रल पाल्सी, कृष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिल्टी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता	
1	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	01	01	—	—	—	पर्यावरण जीव विज्ञान विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। वेतनमान–36200–114800
2	सहायक ग्रेड–3	05	02	01	01	01	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) का वैध प्रमाण–पत्र (Score Card) होना अनिवार्य है। वेतनमान–19500–62000
3	चौकीदार	02	01	01	—	—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण वेतनमान–15500–49000
4	भृत्य	03	01	01	01	—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण वेतनमान–15500–49000
5.	स्वीपर	01	01	—	—	—	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण वेतनमान–15500–49000

नोटः– नियत तिथि तक आवेदन किसी कारणवश जमा न होने की स्थिति में साक्षात्कार के दिन भी पूर्ण रूप से भरें आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

Divyngjan4

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु वॉक–इन इन्टरव्यू (साक्षत्कार) के लिये दिनांक 14.07.2024 समय प्रातः 10:30 से बजे प्रो0व्ही0सी0 सिन्हा सेमीनार हाल, व्यवसाय प्रशासन विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0) में निर्धारित है। उम्मीदवार अधिक होने की स्थिति में वॉक इन इन्टरव्यू अगले दिन भी किये जायेंगे। नियत तिथि एवं समय के बाद उपस्थित उम्मीदवारों के साक्षात्कार लेने पर विचार नहीं जायेगा।

विशेष भर्ती अभियान से संबंधित विविध जानकारी निम्नानुसार है–

01. निःशक्तजनो की परिभाषा शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

02 वॉक–इन–इन्टरव्यू में साक्षात्कार के लिए पृथक से अंक नहीं दिये जायेंगे। संबंधित विभाग रिक्त पद के लिए नियमों में उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता के आधार पर मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जायेगा।

03. उपरोक्त पदों हेतु आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है

04. संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया निःशक्तता का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

05. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी. 3–11/12/1/3 भोपाल दिनांक 03 नवम्बर 2012 के अनुसार दिनांक 01/01/2024 की स्थिति में आवेदक की आयु अधिकतम 40 वर्ष एवं न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार 05 वर्ष की छूट का प्रावधान है।

06. आवेदक का मध्यप्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यलय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

07. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–8–3/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनाक 17 जुलाई 2014 के अनुसार निःशक्तता प्रमाण पत्रों का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडीकल बोर्ड से कराया जावेगा। जाँच में यदि 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्ता पायी जाती है तभी उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी।

08 पूर्व से सेवारत/विभाग में कार्यरत कर्मचारी नियोक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

09 साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया डिजीटल जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो. इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

12 जिस आवेदक के दो से अधिक संतान है व उनमें से 01 का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

13. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0) के पास सुरक्षित रहेंगे।

14 समस्त प्रमाण–पत्रों की प्रतियाँ स्वःप्रमाणित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है।

15 आवेदक द्वारा समस्त प्रमाण–पत्रों की स्व–प्रमाणित/सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रतियों के 02 सेट साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण–पत्रों के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

16. पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम रंगीन छाया चित्र (फोटो) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

17. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) दिनाक 03.07–2018 के माध्यम से दिए गए निर्देशानुसार सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिये दिव्यागजनों की परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत पात्रता

रखने वाले अभ्यर्थियों को ही चयनोपरांत नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के संबंध में राज्य शासन द्वारा वर्तमान एवं समय–समय पर जारी किए गए नियम/निर्देशों के अनुरूप ही चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0) द्वारा की जावेगी।

18. यह कि पूर्व से जारी किये गये निःशक्तता प्रमाण–पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड से कराने के उपरांत ही दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

19. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।

20. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जायेंगे। ऐसी वास्तविक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।

21. यह कि आवेदन–पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई जाति, मूल निवासी जन्म तिथि श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग) आदि से संबंधित प्रमाण–पत्र शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची अभिलेखों की स्व–प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जायें।

22. आवेदन पत्र का प्रारूप अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0) की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
2. अवर सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)।
3. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, म0प्र0, भोपाल।
4. आयुक्त, निःशक्तजन, भोपाल (म0प्र0)।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (म0प्र0)।
6. डॉ0 पी0के0 राय, विभागाध्यक्ष, बी0सी0ए0 विभाग को भेजकर अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
7. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
8. सहायक संचालक आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
9. संबंधित नस्ती।

सहायक कुलसचिव(कार्मिक)

Divyngjan6

//आवेदन का प्रारूप (गैर शिक्षकीय पदों हेतु)//

प्रति,
कुलसचिव,
अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय,
रीवा (म0प्र0) 486003

1. आवेदित पद का नाम ....
2. आवेदक का पूरा नाम ....
3. पिता/पति का नाम उपनाम सहित ....
4. जन्मतिथि प्रमाण–पत्र सलग्न करें ....
   (जन्मतिथि सत्यापन हेतु प्रणागम जी सत्यापित प्रति सलग्न करें)
5. आधार कार्ड नम्बर ....
6. पेन कार्ड नम्बर ....
7. वर्तमान निवास का पत्ता एवं पिनकोड ....
8. स्थाई निवारा का पूर्ण भूता एवं मोबाईल नं. ....
9. जति एवं उपजाति ....
   (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. निःशक्तता का प्रकार ....
    (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति सलग्न करें)
11. रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक ....
12 रोजगार कार्यालय का नाम एवं स्थान ....
13. यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह की तारीख ....
14. जीवित बच्चों का विवरण–

क्र.	नाम	लिंग	जन्मतिथि

15. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)

क्र0	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	पूर्णांक/प्राप्तांक	श्रेणी

16. अतिरिक्त विशेष तकनीकी योग्यता/अनुभव ....
    (प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां एवं अतिरिक्त जानकारी/अनुभव पृथक से संलग्न करें)
17. संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रभाणित प्रतियों की सूची:–
    1. ....
    2. ....
    3. ....
    4. ....
    5. ....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने की दिशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांकः –
स्थानः–

आवेदक के हस्ताक्षर..............................
एवं पूरा नाम..............................

Divyngjan7